प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 22.04.2025

- **कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी किया गया पम्पिंग सेट का पंखा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं0 यूपी 77 ए.पी. 9701 की बरामदगी की गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 19.04.2025 को वादी श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री संग्राग सिंह निवासी ग्राम भैसायां थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के खेत पर लगे इंजन के पम्पिंग सेट के पंखे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने के संबंध में दिनांक 21.04.2025 को थाना रसूलाबाद पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0150/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग में विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त कुलदीप उर्फ विकल पुत्र रामआसरे निवासी देव गांव चक्कर उर्फ निभू थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 28 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.04.2025 को समय लगभग 19.23 बजे रसूलाबाद विषधन मार्ग पर चित्तानिवादा मोड़ के पास थाना रसूलाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल अपाचे (काला रंग) नं0 यूपी 77 ए.पी. 9701 तथा उस पर बंधा चोरी किया गया पम्पिंग सेट के पंखा की बरामदगी की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

कुलदीप उर्फ विकल पुत्र रामआसरे निवासी देव गांव चक्कर उर्फ निभू थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त कुलदीप उर्फ विकल ने पूछने पर बताया कि मैंने दिनांक 19.04.2025 को रानाइटहा गांव से पम्पिंग सेट का पंखा चोरी किया था। आज मैं मोटर साइकिल अपाचे नम्बर U.P. 77 ए0पी0 9701 से चोरी किया हुआ पंखा बेचने के लिये जा रहा था। कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण-

पम्पिंग सेट का पंखा तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल अपाचे (काली रंग) नं0 यूपी 77 ए.पी. 9701

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0150/2025 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0675/2017 धारा 307/332/336/353/395/412/427/504/506 भा0द0वि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 430/2020 धारा 323/308/427 भा0द0वि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 0311/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 0295/2023 धारा 323/354/452/504/506 भा0द0वि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार पोरवाल थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
3. का0 407 बीकेश कुमार थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
4. का0 342 रोहित कुमार थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।